

डिकरी व मुकदमें इबादाई

Jud/Civil (Order 20 Rule 6 CPC)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अदालत : उप जिला कलेक्टर मुकाम वामनवास

इजलास : प्रियंका कडेला आर.ए.एस.

1 किशनलाल पुत्र हरनारायण, जाती मीना, निवासी नारौली चौड, तहसील वरनाला -वादी-	ब ना म	1. आरती पुत्री बत्तीलाल, 2. कन्हैया पुत्र श्रीनारायण, 3. कमल पुत्र परसादी 4. कैलाश पुत्र श्रीनारायण, 5. गुंलबाई पति परसादी, 6. गोरन्तीदेवी पति बत्तीलाल, 7. जगदीश पुत्र श्रीनारायण, 8. नरसिंह, पुत्र बत्तीलाल, 9. नवल, पुत्र परसादी 10. प्रकाशचन्द, पुत्र बत्तीलाल, 11. प्रेमराज पुत्र हरफूल, 12. प्रहलाद पुत्र रामफूल, 13. भजन पुत्र हरफूल,शेष पुरतपर अंकित है..
--	--------------	--


मुकदमा नम्बर - 61/2021

दावा वावत - भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कर्तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामकिशोर शर्मा अधिवक्ता मिनजानिव मुददई श्री योगेश कुमार शर्मा मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि-

दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण वावत विभाजन, घोषणा खातेदारी, व स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार वरनाला के पत्र दिनांक 03.11.2025 के साथ संलग्न बटवारा स्कीम स्कीम फर्द मौका मय नजरी नक्शा के अनुसार डिकी किया जा कर आराजी हाल खसरा नम्बर 1041 रकवा 0.57 हेक्टर, 1075 रकवा 0.14 हेक्टर स्थित ग्राम नारौलीचौड, तहसील वरनाला का वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार वामनवास के पत्र दिनांक दिनांक 03.11.2025 के साथ संलग्न बटवारा स्कीम व फर्द मौका मय नजरी नक्शा डिकी का पार्ट रहेगा। प्रतिवादी संख्या-19 तहसीलदार वरनाला को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिकी आज दिनांक 15-4-26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से किया गया।


(प्रियंका कडेला)

उप जिला कलेक्टर
वामनवास